न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– मांगीलाल (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या:–216/2022
राजस्व वाद:– अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

1. विक्रमसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर
2. आसूसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर
3. ओंकारसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर

वादीगण..................

बनाम

1. हुकमसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी जिला जोधपुर
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. शाखा फलोदी जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण...........

उपस्थित:–

1. श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री रवि पालीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 21.12.2022

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बारू तहसील बाप स्थित खसरा नम्बर 794/1 रकबा 30.11 बीघा ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 714/2 रकबा 44.00 बीघा, खसरा नम्बर 668/2 रकबा 28.07 बीघा, खसरा नम्बर 785/2 रकबा 10.13 बीघा तथा ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 44/3 रकबा 28.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा प्रतिवादीगण सं 1 के पिता कल्याणसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 794/1 रकबा 30.11 बीघा ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 714/2 रकबा 44.00 बीघा, खसरा नम्बर 668/2 रकबा 28.07 बीघा, खसरा नम्बर 785/2 रकबा 10.13 बीघा तथा ग्राम [illegible] पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 44/3 रकबा 28.00 बीघा भूमि पैतृक भूमि [illegible] नामांतरकरण प्रतिवादी सं 1 के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि जरिये डिक्री प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है उक्त भूमि का मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ने आपसी सहमति का मौके पर मौखिक बटवाड़ा कर लिया है जिसके आधार पर वादी सं 1 के के ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 794/1 रकबा 30.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

11 बीघा वादी सं 2 के ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 714/2 रकबा 44.00 बीघा वादी सं 3 के ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा 668/2 रकबा 28.07 बीघा व खसरा नंबर 785/2 रकबा 10.13 बीघा प्रतिवादी सं 1 के ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 44/3 रकबा 28.00 बीघा भूमि बंट में रखी गई है इसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का मौखिक बटवाड़ा से प्राप्त अपनी–अपनी पैतृक भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासी ढांणीयां पानी के टांके आदि बना रखे हैं। उक्त रहवासी ढ़ाणी में वादीगण बारह मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी के ही नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से ही अधिकार व हिस्सा है और वादीगण का उक्त भूमि पर मौखिक बंटवाड़ा अनुसार अपने हिस्से अनुसार कब्जा का त चला आ रहा है। वादी सं 1 के ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 794/1 रकबा 30.11 बीघा वादी सं 2 के ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 714/2 रकबा 44.00 बीघा वादी सं 3 को ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा 668/2 रकबा 28.07 बीघा व खसरा नंबर 785/2 रकबा 10.13 बीघा प्रतिवादी सं 1 को ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 44/3 रकबा 28.00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है जिस हेतु यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण 1 की ओर से अधिवक्ता रवि पालीवाल ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने वारिसान तस्दीक हेतु वारिसनामा मय शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रस्तुत इकबालिया जवाब निम्नानुसार है :–

ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप स्थित खसरा नम्बर 794/1 रकबा 30.11 बीघा ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 714/2 रकबा 44.00 बीघा, खसरा नम्बर 668/2 रकबा 28.07 बीघा, खसरा नम्बर 785/2 रकबा 10.13 बीघा तथा ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 44/3 रकबा 28.00 बीघा भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कल्याणसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो वर्तमान में उक्त भूमि मेरे [illegible] है अगर वादी संख्या 1 को ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 794/1 रकबा 30.11 बीघा का वादी संख्या 2 को ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 714/2 रकबा 44.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 3 को ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 668/2 रकबा 28.07 बीघा व खसरा नंबर 785/2 रकबा 10.13 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 44/3 रकबा 28.00 बीघा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई बहस में अधिवक्ता वादीगण न कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी भूमि ग्राम बारू तहसील बाप स्थित खसरा नम्बर 794/1 रकबा 30.11 बीघा ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 714/2 रकबा 44.00 बीघा, खसरा नम्बर 668/2 रकबा 28.07 बीघा, खसरा नम्बर 785/2 रकबा 10.13 बीघा तथा ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नंबर 44/3 रकबा 28.00 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी भूमि हमारी जद्दी जायदाज है। बहस में कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जावे। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में अधिवक्ता वादीगण ने मिशल बन्दोबस्त मौजा बारू की चित्रप्रति पेश की, के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति साबित होने से वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। ग्राम बारू के मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबंदी से वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब पेश कर घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 794/1 रकबा 30.11 बीघा भूमि वादी संख्या 1 को, ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 714/2 रकबा 44.00 बीघा भूमि वादी संख्या 2 को, ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 668/2 रकबा 28.07 बीघा व खसरा नम्बर 785/2 रकबा 10.13 बीघा भूमि वादी संख्या 3 को, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम रोला के खसरा नम्बर 44/3 रकबा 28.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi L
Date: 2024.02.06 14:55:50
Reason: SelfAttested

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. विक्रमसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर
2. आसूसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर
3. ओंकारसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर

वादीगण..................

बनाम

1. हुकमसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला जोधपुर
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी जिला जोधपुर
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. शाखा फलोदी जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण............

मुकदमा संख्या :— 216 / 2020

दावा बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व रवि पालीवाल प्रति. सं. 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 794 / 1 रकबा 30.11 बीघा भूमि वादी संख्या 1 को, ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 714 / 2 रकबा 44.00 बीघा भूमि वादी संख्या 2 को, ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 668 / 2 रकबा 28.07 बीघा व खसरा नम्बर 785 / 2 रकबा 10.13 बीघा भूमि वादी संख्या 3 को, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम रोला के खसरा नम्बर 44 / 3 रकबा 28.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 / 12 / 2022 को जारी की गई।

(मांगीलाल R.A.S.)
[illegible]
(जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।